रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 1974/आषाढ़ 27, 1896
No. 313] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 1974/ASADHA 27, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th July 1974

S.O. 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the Table below to be a national highway.

The said highway now declared to be a national highway shall be deemed to be specified in the Schedule to the National Highways Act, 1956 with the Serial No. and National Highway No. indicated in the Table.

TABLE

Serial No.	National Highway No.	Description of national highways
13F	17	The highway connecting Panvel on N.H. No. 4 Mahad, Panaji, Karwar, Mangalore, Cannanore, Calicut (Kozhikode), Feroke, Kuttipuram, Pudu Ponnani, Chowghat, Cranganpur to Junction with N.H. No. 47 near Edapally.

[No. PL-10(129)/71].

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1974

सा० का० 441(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उपरोक्त राजमार्ग, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, को रा० रा० अधिनियम, 1956 की अनुसूची में, सारणी में दिये गये क्र० सं० तथा रा० राजमार्ग के साथ विनिर्दिष्ट माना जायेगा ।

सारणी

क्र० सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा
13एफ	17	राजमार्ग जो पनवल को रा० रा० 4 पर महाद, मानाजी, कारवाड़, मगलौर, कन्नानौर, कालीकट (खाजीकोड़े) फेरोके, कुटीपुरम, पुडु, पौन्नावी, चौघाट, क्रंगनुर से जोड़ते हुए एडापल्ली के निकट रा० रा० 47 के साथ जकशन को जोड़ती है ।

[सं० पी० एल०-10(129)/71]

S.O. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits the National Highway No. 17 specified against Serial No. 13F in the Schedule to the said Act from that Schedule.

[No. PL-10(129)/71-I]

J. S. MARYA,
Director General
(Road Development) & Additional Secretary.

सा० का० 442(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं० 13 एफ के सामने विनिर्दिष्ट राजमार्ग सं० 17 को, उस अनुसूची से हटा दिया है ।

[सं० पी० एल०-10 (129)/71-I]

जगदेव सिंह मढ़िया,
महानिदेशक
(सड़क विकास) तथा अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974